

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(1)(1) आप्रसआ/सामान्य/ओला0/2011/3841-80 जयपुर, दिनांक 24<sup>03</sup>/<sub>11</sub>

अधिसूचना

जिला कलेक्टर से प्राप्त ओलावृष्टि से रबी की फसल खराबा रिपोर्ट, सम्वत् 2067 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21, सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2011 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	1
2.	अलवर	34
3.	जयपुर	58
4.	भीलवाड़ा	5
5.	सीकर	17
6.	टोंक	9
7.	बून्दी	32
8.	भरतपुर	3
9.	झुन्झनू	6
	कुल	165

राज्यपाल की आज्ञा से,

13<sup>03</sup>/<sub>24</sub> 24/3/11  
(तन्मय कुमार)  
शासन सचिव